ग्राम पंचायत पलचान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत पलचान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

(i) प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सिंघी राम	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री सुन्दर सिंह	27.6.16 से लगातार

(ii) सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अमर चन्द	1.4.14 से 15.10.15
2	श्रीमती मधु देवी	16.10.15 से 06.11.15
3	श्री अमर चन्द	07.11.15 से 27.10.16
4	श्री कर्म चन्द	28.10.16 से 04.01.17
5	श्री राज कुमार	05.01.17 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः– ग्राम पंचायत पलचान के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹) लाखों में
1	4.2	रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना	–
2	8	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.81
3	10	अनुदान का उपयोग न करना	40.60
4	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	5.39

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत पलचान, विकास नगर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 4.1.18 (अपराह्न) से 9.1.18 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 2/15, 8/15 व 8/16 तथा 12/14, 10/15 व 3/17 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत पलचान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2018-03 दिनांक 8.1.18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत पलचान से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत पलचान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत पलचान के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति बैंक खातों के अनुसार निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1 पार्ट–1** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	3522754	2224737	130578	5878069	2673780	3204289
2015–16	3204289	2527942	124573	5856804	2064026	3792778
2016–17	3792778	3770700	138219	7701697	822426	6879271

(ii) मनरेगाः– परिशिष्ट–1 Part II

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	.25	280562	934	281496.25	281496	0.25
2015–16	.25	–	2	2.25	2.25	शून्य
2016–17		–	–	–	–	शून्य

(i) दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों के अनुसार शेष ₹6879271

(ii) दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा राशि ₹6879271

(iii) अन्तर शून्य

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानः–

ग्राम पंचायत पलचान द्वारा प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से ग)** में दिया गया है।

4.2 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करना व बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत पलचान की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया है। उक्त नियम के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में जमा राशियों का विवरण रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित था तथा रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः रोकड़ बहियों में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना न करना तथा बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के

विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों का रख रखाव उक्त नियम अनुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 31.3.17 को बैंक खातों में जमा राशियों से मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 विभिन्न अनुदानों/योजना हेतु एक ही बैंक खाते का उपयोग करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HA(5)-13(1)5-47005-81 दिनांक 15.2.12 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक योजना/अनुदान के लिए एक पृथक बैंक खाते का रख रखाव करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत पलचान द्वारा विभिन्न अनुदानों व स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय व व्यय के लिए एक बैक खाता संख्या 20035003445 का ही रख रखाव किया गया है जोकि उक्त पत्र संख्या के अनुसार अनुचित व आपत्तिजनक है। अतः उक्त पत्र के निर्देशानुसार प्रत्येक योजना के लिए पृथक–2 बैंक खाते का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	राशि (₹)
1	1.4.14 से 29.6.14	7701
2	30.6.14 से 14.9.14	7751
3	15.9.14 से 5.2.15	8156
4	6.2.15 से 21.3.15	8161
5	7.4.15 से 28.4.15	3047

7 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन, तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

8 पंचायत राजस्व ₹0.81 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व ₹80815 की वसूली शेष थी, जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट–3** में भी दिया गया है।

(i) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	5850	16805	22655	50	22605
2015–16	22605	16805	39410	1400	38010
2016–17	38010	16805	54815	–	54815

(ii) मोबाईल टावर

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	6000	8000	14000	–	14000
2015–16	14000	6000	20000	–	20000
2016–17	20000	6000	26000	–	26000

No. of Tower:- 3

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

8.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने बारेः–

ग्राम पंचायत पलचान के गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः गृहकर

मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक प्रत्येक परिवार से वसूली की जानी वाली राशि की गणना करके रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.2 मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव न करने बारेः–

सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0 एच/एच0ए0/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 हर वर्ष नवीनीकरण शुल्क प्राप्त कर सकती है तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद नवीनीकरण शुल्क में 25**%** की बढ़ौतरी की जायेगी। ग्राम पंचायत पलचान के स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर शुल्क मांग व वसूली रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है। अतः उक्त रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रत्येक टावर से शेष शुल्क की राशि की गणना उचित प्रकार से की जा सके।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। पंचायत में अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत में **परिशिष्ट–4** में दिए गए विवरणानुसार कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः विवरणानुसार कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान ₹40.60 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "5"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹4060289 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को

व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register
2	Work Register
3	Bill Register
4	Stationery Register
5	Cheque issue/Receipt Register
6	Temporary Advance Register
7	Mobile Tower fee collection register

12 दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा शेष राशियों तथा स्वः स्त्रोत व अनुदानों की शेष राशियों में ₹14.78 लाख के अन्तर बारेः–

ग्राम पंचायत पलचान के लेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों स्वः स्त्रोत व अनुदानों की शेष राशियों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार कुल ₹1478534 का अन्तर था। अतः अन्तर की राशि किस–किस शीर्ष (Head) की है कि गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा राशि	₹6879271
दिनांक 31.3.17 को स्वः स्त्रोत व अनुदानों की शेष राशि	₹5400737
परिशिष्ट–5 (I & II)	
अन्तर	₹1478534

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹5.39 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹538878 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–7** में दिए विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित **परिशिष्ट–7** में दी गई मदों का स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

15 मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना अनियमित भुगतानः–

ग्राम पंचायत पलचान की मनरेगा के अन्तर्गत कार्य हेतु जारी मस्ट्रोलों की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मस्ट्रोलों में आवेदकों को भुगतान करने से पहले प्रत्येक मस्ट्रोल में आवेदकों के हस्ताक्षर लेना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा आवेदकों के हस्ताक्षर मस्ट्रोल में नहीं लिए गए। मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोलों को पूर्ण किए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मस्ट्रोल को पूर्ण करके तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Mustroll No.	Period	Amt. (₹)
1	2361	16.9.15 से 30.9.15	18954
2	2362	16.9.15 से 30.9.15	19602
3	2797	1.10.15 से 15.10.15	19440

16 ₹31671 के बिल अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करनाः–

अंकेक्षण अवधि के बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न व्ययों के बिल/वाउचरों के साथ संलगन नहीं थे। अतः दिए गए विवरणानुसार व्यय बिलों को प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	रोकड़ बही पृ0सं0	वा0सं0	राशि (₹)
1	LADA	202/30.3.17	40	28195
2	LADA	202/30.3.17	45	1000
3	MGNREGA	27/31.12.14	47	2476
			योग	**₹31671**

17 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः—** पंचायत के लेखों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 29 / 2018—खण्ड—1—3049—3052 दिनाँक 05.05.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पलचान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620046